

CANTONMENT BOARD, MEERUT

PUBLIC NOTICE


The following draft of proposal relating to amendment in the rates of rebate accruable on House Tax and Water Tax on the properties within the Meerut Cantonment Board's limit fixed by the Cantonment Board, Meerut vide its Resolution No. 41 dated 16.09.2015 is hereby published as required by section 71 of Cantonments Act, 2005 (41 of 2006) read with Section 319 of said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that said draft will be taken into consideration after expiry of 07 days from the date of publication of this notice.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period stated above will be considered by the Cantonment Board, Meerut.

DRAFT PROPOSAL

In exercise of the powers conferred by Section 71 of Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Cantonment Board, Meerut, with the previous sanction of Central Govt., hereby amends rates of rebate accruable on House Tax and Water Tax on the properties within the limits of Meerut Cantonment, at the rates specified hereunder :

SL. NO.	NAME OF THE TAX	DATE OF LAST REVISION	EXISTING RATES LEVIED BY THE CANTT BOARD, MEERUT	PROPOSED RATES TO BE LEVIED AFTER AMENDMENT
1	House Tax	16.09.2015	14% on the Annual Rateable Value with a rebate of 2% on the value if payment is made by due date.	14% on the Annual Rateable Value with a rebate of 5% on the current value of Annual House Tax if payment is made within 30 days, if paid through e-Chhawani Portal. If the payment is made within the current financial year then 2% rebate on the current value of Annual House Tax will be applicable, if paid through the e-Chhawani Portal.
2	Water Tax	16.09.2015	7.5% on the Annual Rateable Value.	7.5% on the Annual Rateable Value with a rebate of 5% on the current value of Annual Water Tax if payment is made within 30 days, if paid through e-Chhawani Portal. If the payment is made within the current financial year then 2% rebate on the current value of Annual Water Tax will be applicable, if paid through the e-Chhawani Portal.



(NAVENDRA NATH), IDES
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
MEERUT CANTT.

No. 30/7/T/827
Office of the Cantonment Board,
Meerut dated 22 September 2021.

छावनी परिषद, मेरठ

सार्वजनिक सूचना


छावनी परिषद, मेरठ इसकी संकल्प संख्या 41 दिनांक 16.09.2015 को छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 71 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेरठ छावनी परिषद की सीमाओं में सम्पत्तियों पर गृहकर/जलकर की वर्तमान दरों पर दी जाने वाली छूट में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव करती है, जिसके हेतु उक्त अधिनियम की धारा 71 सपठित धारा 319 के अर्न्तगत सर्वसाधारण को सूचनार्थ जो इससे प्रभावित होते हों, अतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना जारी की जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सातवें दिन के उपरान्त विचार किया जायेगा।

कोई भी आपत्ति/सुझाव इस संशोधन पर, किसी भी व्यक्ति से समय समाप्ति से पूर्व छावनी परिषद, मेरठ में प्राप्त होने पर, छावनी परिषद, मेरठ द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप प्रस्ताव

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 71 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी परिषद, मेरठ केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से मेरठ छावनी की सीमाओं में सम्पत्तियों पर गृहकर जलकर पर दी जाने वाली छूट की दर का निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों पर संशोधन करती है :

क्रम सं०	कर का नाम	अंतिम पुनरिक्षण की तिथि	छावनी परिषद, मेरठ द्वारा लागू वर्तमान दरें	संशोधन के पश्चात लागू की जाने वाली प्रस्तावित दरें
1	गृहकर	16.09.2015	वार्षिक अनुपातिक मूल्य का 14 प्रतिशत। बशर्ते की यदि भुगतान निर्धारित तिथि तक किया जाता है तो वार्षिक अनुपातिक मूल्य पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।	वार्षिक अनुपातिक मूल्य का 14 प्रतिशत गृहकर होगा। यदि वार्षिक गृहकर का भुगतान 30 दिन के भीतर ई-छावनी पोर्टल द्वारा किया जाता है तो वार्षिक गृहकर पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यदि भुगतान चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक ई-छावनी पोर्टल द्वारा किया जाता है तो वार्षिक गृहकर पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2	जलकर	16.09.2015	वार्षिक अनुपातिक मूल्य का 7.5 प्रतिशत।	वार्षिक अनुपातिक मूल्य का 7.5 प्रतिशत जलकर होगा। यदि वार्षिक जलकर का भुगतान 30 दिन के भीतर ई-छावनी पोर्टल द्वारा किया जाता है तो वार्षिक जलकर पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यदि भुगतान चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक ई-छावनी पोर्टल द्वारा किया जाता है तो वार्षिक जलकर पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।


(एन. नाथ) भार.स.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी
मेरठ छावनी।

संख्या 30/7/टी/827
कार्यालय छावनी परिषद,
मेरठ दिनांक 22 सितम्बर 2021